

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
No.4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2017, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2017 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹378592.16 करोड़ और ₹366188.70 करोड़ थीं।
 The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2017 were ₹378592.16 crores and ₹366188.70 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:—

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां जारी
No. 4—GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि मंत्रालय — MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Co-operation	4036.00 (2)	2531.00 (2)	1505.00	—	—	—	4036.00 (2)	@	@	—
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE— आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	17469.94 (17)	17252.92 (17)	*217.02	713.32 (1)	—	—	16756.62 (16)	67.63	*68.95	—
राजस्व विभाग Department of Revenue	800.00 (1)	—	800.00 (1)	—	—	—	800.00 (1)	8.00	—	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	54495.00 (2)	54495.00 (2)	—	—	—	—	54495.00 (2)	**—	**—	—
उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF INDUSTRY — भारी उद्योग विभाग Department of Heavy Industry	253.00 (3)	253.00 Ø(3)	—	—	—	—	253.00 (3)	15.97	2.53	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (KVIC)	269.00 (1)	269.00 (1)	—	#7.00	—	—	262.00 (1)	##75.56	##—	—

@ गारंटी शुल्क का अधित्याग फा.सं. 12(8)–बी (एसडी)/94 (पीएल) दिनांक 24 मार्च, 2017 द्वारा किया गया है।

@ Guarantee fee is waived vide F.No. 12(8)-B(SD)/94(PL) dated 24th March, 2017.

* विनिमय दर में घटबढ़ होने और बैंक प्रभारों की अदायगी के कारण।

* Due to exchange rate fluctuation and payment of bank changes.

** मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.4.2008 के पत्र द्वारा सरकार द्वारा निष्पादित एकल डिफॉल्ट गारंटी के लिए देय गारंटी शुल्क का अधित्याग कर दिया है।

** Ministry vide its letter dated 25.4.2008 has waived the guarantee fee payable towards single default guarantee executed by the Government.

आंशिक ऋण की अदायगी

Payment of part loan.

केवीआईसी न तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और न ही लाभ अर्जित करने वाला संगठन है। यह एक संवर्धन संगठन है।

KVIC is neither a public sector undertaking (PSU) nor a profit making organization it is a promotional organization.

Ø वर्ष 2015–16 के दौरान 6 अदद गारंटियां हटा/चुकी दी गई थीं परन्तु इन्हें गलती से दर्शाया नहीं जा सका।

Ø 6 Nos of Guarantees were Deleted/Discharged during 2015-16 but could not be reflected erroneously.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
 सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—*जारी*
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS— रसायन और पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and Petrochemicals	2.55 (1)	2.55 (1)	—	2.55 (1)	—	—	—	—	—	—
फार्मास्युटिकल्स विभाग Department of Pharmaceuticals	1102.56 (9)	1067.19 #(9)	35.37	—	—	—	1102.56 (9)	77.95	**—	—
जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES	—	—	—	—	—	—	—	*2.59	—	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / ऋणों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां :-
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—
MINISTRY OF CHEMICALS AND
FERTILISERS—

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग
Department of Chemicals and
Petro Chemicals

250.00	250.00	—	—	—	—	250.00	2.50	^^—	—
(2)	(2)					(2)			

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER	7000.00	7000.00	—	—	—	7000.00	70.00	70.00	एसएलआर बांड SLR Bond
	(2)	(2)				(2)			

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक
वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER
AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

13074.52	13074.52	—	74.52	—	—	13000.00	—	—	—
(15)	(15)		(13)			(2)			

^^ यह एक रुग्ण इकाई है।

^^ It is a sick unit.

* गारंटी शुल्क की अदायगी देय तारीख को न किए जाने के लिए जुर्माना लगाने से संबंधित है। इसका अधित्याग करने के लिए एक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

* Pertains to levy of Penalty for not making payment of Guarantee fee on due dates. A proposal for its waiver is under consideration of DEA, M/o Finance

** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से निधि उपलब्ध न होने के कारण प्राप्त नहीं हुआ।

** Not received due to non-availability of fund from the PSU.

पिछले वर्ष 4 अदद गारंटियां दर्शायी गई थीं जिनमें एक गारंटी बैंक के संघ को शामिल है। बैंकों के इस संघ में 6 बैंक शामिल हैं। अतः कुल 9 गारंटियां हैं।

In precious year 4 No. of Gurantees were shown which includes one guarantee to Consortium of Banks. This consortium of banks involves 6 banks. Hence, there are a total of 9 Guarantees.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(करोड़ रुपयों में) (In crore of rupees)
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	0.07 (2)	0.07 (2)	—	0.02 (1)	—	—	0.05 (1)	—	—	—
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications	7513.97 (4)	7513.97 (4)	—	—	—	—	7513.97 (4)	75.59	#105.39	—

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc :-

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVILAVIATION	40452.70 (31)	36300.30 (28)	4152.40 (3)	—	—	—	40452.70 (31)	1036.05	117.15	—
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	692.40 (3)	692.40 (3)	—	*69.10	—	—	623.30 (3)	6.24	6.24	—
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	33604.22 (37)	31406.78 (36)	*2197.44 (1)	2416.52 (2)	—	—	31187.70 (35)	364.25	364.25	—
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	154015.50 (178)	135637.93 (164)	18377.57 (14)	4762.30 (4)	—	—	149253.20 (174)	177.54	174.94	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड National Small Industries Corporation Limited	58.75 (3)	58.37 (3)	*0.38	^7.00	—	—	51.75 (3)	0.32	0.24	—

2017-18 के ₹29.8 करोड़ को 2016-17 के लेखे में लिया गया।

₹29.8 crore for 2017-18 taken in account of 2016-17.

* विनिमय दर में बदलाव के कारण।

* Due to exchange rate variation.

^ ₹7.00 करोड़ में से, ₹3.98 करोड़ की राशि विनिमय लाभ और मूलधन एवं ब्याज की शेष राशि के कारण है।

^ Out of ₹7.00 crore, an amount of ₹3.98 crore is on account of exchange Gain and balance amount of Principal and Interest.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
 सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	703.66 (1)	670.80 (1)	^32.86	^^48.15	—	—	655.51 (1)	1.76	1.76	—
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	7302.77 (11)	5019.71 (11)	@2283.06	@284.28	—	—	7018.49 (11)	60.29	60.29	—
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	418.68 (2)	418.68 (2)	—	^55.34	—	—	363.34 (2)	1.03	1.03	—
आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय MINISTRY OF HUPA	489.14 (2)	485.07 (2)	^4.07	^66.52	—	—	422.62 (2)	3.83	3.83	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE	1.73 (1)	1.73 (1)	---	0.90	---	---	0.83 (1)	0.05	—	—
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	797.13 (2)	#539.75 (2)	^257.38	^^7.19	—	—	789.94 (2)	6.52	6.52	—
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	33270.51 (6)	28187.76 (5)	5082.75 (1)	^3370.39	—	—	29900.12 (6)	—	—	—
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	518.36 (8)	518.36 (8)	—	518.36 (8)	—	—	—	—	—	—

^ विनिमय दर में बदलाव के कारण।

^ Due to exchange rate variation.

^^ वर्ष के दौरान ऋण की पुनर्दायगी।

^^ Repayment of loan during the year.

₹3.30 करोड़ की अदायगी को 2015-16 के लेखों में शामिल नहीं किया गया था। 2015-16 के लेखों को अंतिम रूप देने के बाद इति शेष ₹539.75 करोड़ था।

Payment of ₹ 3.30 crore was not taken into accounts during 2015-16. After finalisation of A/c of 2015-16 closing balance worked out as ₹ 539.75 crore.

@ केवल पूर्व गारंटी की राशि अधिक और कम हुई है।

@ Only the amount of guarantee earlier has been increased and decreased.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(करोड़ रुपयों में) (In crore of rupees)

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:—

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:—

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

— शून्य / NIL —

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

(viii) कोई अन्य —

(viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —

